

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(15)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक :

आदेश

2 APR 2021

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलॉजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

सह आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्मतिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. राम डागा	सामान्य	30.01.1976	2019-20	सह आचार्य 01.04.2019

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1	डॉ. अजय शर्मा	सामान्य	05.04.1970	19.09.2012 (लम्बे समय से अनुपस्थित व डैफर प्रकरण)

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा) 2/4/21

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर व उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
4. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिव शंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव